

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2-

संख्या-628/ग्यारह-2-22-9(47)/17-टी.सी.196-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(246)-2022


लखनऊ: दिनांक: 18 जुलाई, 2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 11 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा, अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1823/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(89)-2017 दिनांक 04-12-2017 को उसे निरसित किये जाने के पूर्व कृत या किये जाने हेतु लोपित बातों के सिवाय निरसित करती हैं।

2. यह अधिसूचना तारीख 18 जुलाई, 2022 को प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,



(नितिन रमेश गोकर्ण)

प्रमुख सचिव